

20/5/2024

पु.सं. 98/17 नीरज/भाभीरु

मिसल प्रेश। वादीगण एवं वादीगण के
 भाषिवक्ता अनुपस्थित। जिसे रुक-रुक
 कर तीन बार भाषण स्थित करी जो
 गैर इंजीर आन। वादपत्र अन्तर्गत धारा
 18, 188 एन। का अर्थ पेटवी एवं
 भाषण एजरी में खारिज स्थित जागहें।
 पत्रावली के जल कुमाए बंधन दंड
 सम्बन्ध है अमल है

सहायक कलेक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 गंगापुर जिला भीलवाड़ा

